(11)

न्यायाo श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 50 पैसे INDIA पैसे 50 PAISE

COURT FEE 2 INDIA रुपये RUPEES

आज दिनांक 11-7-94 को प्रस्तुत

11-7-94

जगन्नाथ प्रसाद तनय परमेश्वरदीन निवासी-बाबूपुर, दलदल, रामपुर बघेलान जिला-सतना ---अपीलार्थी

बनाम

1:-रामरूप तनय छविलाल

2:-जयराम प्रसाद तनय सुदर्शन प्रसाद

3:-अम्बिका प्रसाद

4:-गंगा प्रसाद

5:-त्रिवेणी प्रसाद

6:-लीलावती पत्नी रविनन्दन

7:-अमृत तनय रविनन्दन उम्र 2 वर्ष (वली सरपरस्त मां लीलावती पत्नी रविनन्दन प्रसाद

8:-गुड़िया तनय रविनन्दन उम्र

सभी निवासी गण ग्राम बाबूपुर, दलदल, रामपुर, बघेलान, जिला-सतना म0प्र0 ---- रेस्पाडेन्टगण

A/10-2/R/55/94

A/10-2/R/30/95

RN/10-2R/

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा प्र.क्र. 214-अ63अ85-86 आदेश दिनांक 26/4/94

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नहै :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26/4/94 काबिल निरस्तगी है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विना सम्पूर्ण प्रकरण का विधि सम्मत विवेचना किये ही निर्णयपारित किया गया है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 301/1995 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि तहसीलदार को खसरा सुधार के लिए आदेश के लिए आदेश पारित करने का अधिकार धारा 115/116 के तहत प्राप्त हैं जिकन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगााय जा सकता है कि दूसरे पक्ष को बिना सुनवाई किये ही आदेश पारित कर दिया जाये। यह भी पाया है कि भूमि के भूमिस्वामी जो हित रखने वाले कृषक हैं उन्हें भी पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार की, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित होकर समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	